

# **ELECTION COMMISSION OF INDIA**

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001*

No. ECI/PN/236/2025

28.06.2025

## **Press Note**

### **Special Intensive Revision in Bihar has already started**

The Constitution of India is supreme. All citizens, political parties and the Election Commission of India follow the Constitution.

2. Article 326 specifies eligibility to become an elector. Only Indian citizens, above 18 years and ordinary resident in that constituency, are eligible.

3. Special Intensive Revision (SIR) has already started successfully in Bihar for verifying the eligibility of each elector with full participation of all Political Parties.

4. ECI already has 77,895 Booth Level Officers (BLOs) and is appointing nearly 20,603 more BLOs for new polling stations.

5. More than One Lakh volunteers will be assisting genuine electors, particularly the old, sick, Persons with Disabilities (PwD), poor and other vulnerable groups during the SIR.

6. All recognised National and State Political Parties who are registered with ECI have also already appointed 1,54,977 Booth Level Agents (BLAs). They can still appoint more BLAs.

7. Printing as well as door-to-door distribution of new Enumeration Forms (EF) for all the existing 7,89,69,844 electors of Bihar has already started in each of the 243 Assembly Constituencies of Bihar. Online filling of the new Enumeration Forms (EFs) has already been enabled and has also started successfully.

8. Out of the existing 7,89,69,844 electors, 4.96 Crore electors, whose names are already in the last intensive revision of Electoral Roll on 01.01.2003, have to simply verify so, fill the Enumeration Form and submit it.

9. All Divisional Commissioners and District Magistrates are engaging all the BLOs full time during the SIR.

10. SMSs are also being sent to the 5,74,07,022 registered mobile numbers of Bihar.

11. All activities relating to SIR are progressing well as per schedule.



P. Pawan  
Deputy Director

\*\*\*



# भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 शुरू

## कोई योग्य मतदाता छूटे ना!



### संवैधानिक नियमों के अनुरूप सरल और सहज प्रक्रिया अनुच्छेद 326 के अनुसार निर्वाचक

- भारत का नागरिक हो
- 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु हो
- क्षेत्र का सामान्य निवासी हो

#### क्या करेंगे BLO?

- ✓ घर-घर जाकर आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र (Enumeration Form) की दो प्रतियां आपकी देंगे
- ✓ आपके द्वारा भरे हुए गणना प्रपत्र को आपके द्वारा स्व-सत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ एकत्रित करेंगे, और उसे ECINET ऐप पर अपलोड करेंगे

#### ऑनलाइन माध्यम भी

- आप ECINET ऐप के द्वारा भी आंशिक रूप से भरे गणना प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही BLO के साथ कॉल बुक कर सकते हैं, और जरूरी जानकारी ले सकते हैं।
- गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी <https://voters.eci.gov.in/> पर जाकर डाउनलोड कर, उसे भरकर स्व-सत्यापित जरूरी दस्तावेजों के साथ अपलोड करें

1 जनवरी 2003 के अर्हता की तारीख (Qualifying Date) तक मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं को (Enumeration Form) के साथ दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।

चुनाव आयोग द्वारा वृद्ध, दिव्यांग और अन्य विशेष मतदाताओं के लिए वालंटियर की सुविधा

26 जुलाई से पहले अपने गणना प्रपत्र भर BLO को जमा करें और आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं।

इस अवधि के बाद भी आप अपना नाम दर्ज करा पायेंगे, इसके लिए आपको अतिरिक्त फॉर्म 6, घोषणा पत्र (Declaration Form) के साथ भरना होगा।

#### क्या करेंगे आप?

- ✓ गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें
- ✓ जरूरी दस्तावेजों को स्व-सत्यापित करके संलग्न करें
- ✓ भरे हुए गणना प्रपत्र BLO को जमा करें एवं प्राप्ति रसीद लें

### महत्वपूर्ण तारीख

गणना प्रपत्र भरने की अवधि: 25 जून - 26 जुलाई 2025  
मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन: 1 अगस्त 2025  
दावे और आपत्तियों की अवधि: 1 अगस्त - 1 सितम्बर 2025  
अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 30 सितम्बर 2025



हर योग्य मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाएं  
चुनाव आयोग हर योग्य मतदाता को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए संकल्पित